

परिणामस्वरूप, 1970-71 और 1971-72 के दौरान केन्द्रीय सहायता के प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र राज्य में राहत उपायों पर खर्च करने के लिए कुल 12.35 करोड़ रुपये की सीमा निर्धारित की गई थी। राज्य के कुछ भागों में सूखा रहने के बारे में हाल ही में प्राप्त रिपोर्टों और 7 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर राहत उपायों पर खर्च करने के लिए जुलाई और अगस्त के महीनों के लिए केन्द्रीय सहायता की राशि की सीमा 6 करोड़ रुपये निर्धारित की गई थी।

(ग) महाराष्ट्र में राहत उपायों पर खर्च करने के लिए निर्धारित उपर्युक्त सीमा में मे 1970-71, 1971-72 के वर्षों के लिए अब तक दी गई कुल केन्द्रीय सहायता 8.5 करोड़ रुपये है। इसके अतिरिक्त, कृषि इनपुट खरीदने के लिए कुल 10 करोड़ रुपये की अल्पकालीन ऋण सहायता भी दी गई है।

कृषि और औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारित करना

7801. श्री ई० बी० बिरबे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कृषि को उद्योग मानती है;

(ख) यदि हां, तो क्या कृषि उत्पादों तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य निर्धारण में समान सिद्धान्त अपनाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा-साहिब धी० शिन्डे) : (क) से (ग) : कृषि तथा उद्योग में महत्वपूर्ण अन्तर है, जनः उनको हर पहलु से एक समान नहीं माना जा सकता है। शायद माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार कृषि तथा औद्योगिक उत्पादों के मूल्य

निर्धारण में एक समान मानती है। औद्योगिक उत्पादों के मामले में, सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि कृषि उत्पादों के लिए लागू किए जाने वाले मूल्य इस स्तर पर निश्चित किए जायें कि उनमें खेती की लागत निकल आये और किसान को उचित लाभ भी प्राप्त हो सके। किन्तु उद्योग के मामले में उत्पादन लागत का हिसाब लगाना बहुत आसान है, किन्तु अति भिन्नता, पर्याप्त आंकड़ों आदि के अभाव के कारण कृषि उत्पादों के मामले में ऐसा करना अधिक कठिन है। कृषि उत्पादों के लिए मूल्य निर्धारित करते समय खेती की लागत सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़ों को ध्यान में रखा जाता है।

कृषि तथा प्राणी-विज्ञान में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां देने के लिए संस्थान

7802. श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि तथा प्राणी विज्ञान में स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करने की योजना की क्रियान्विति की देख-रेख करने वाले सम्वान का नाम क्या है;

(ख) ऐसी छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ग) उन संस्थानों/विश्वविद्यालयों आदि के क्या काम हैं जहां प्राणी-विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में डाक्टरेट करने की सुविधायें उपलब्ध हैं तथा प्रत्येक संस्थान में कितने छात्रों को किन-किन विषयों में छात्रवृत्तियां प्राप्त हो रही हैं; और

(घ) क्या सरकार इन छात्रवृत्तियों की संख्या में वृद्धि करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा-साहिब धी० शिन्डे) : (क) कृषि और पशु विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में स्नातकोत्तर